न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 89/2017
GCMS CASE NO-2017/00088

दायरा दिनांक 23-06-2017

1. बृजलाल पुत्र श्री बिशना उर्फ किशनाराम जाति जाट निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ।

–रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रताप तिवाडी अधिवक्ता, अपीलांट
2. पैराकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
3. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांकः– 06 .11.2024

1. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलांट जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न0 272/3 में 11.638 है0 भूमि को टीसी मानकर खारिज कर दिया गया। उक्त भूमि आदेश पारित करने के समय उपनिवेशन क्षेत्र में थी, उपनिवेशन क्षेत्र के अधीन बने नियमों के अंतर्गत ही आरजी काश्त उपनिवेशन क्षेत्र आवंटन नियमों के प्रभावधीन थी जिसमें आरजी काश्त को निरस्त करने के अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर को दिये गये है ... को भूमि निरस्त करने के अधिकार आवंटन नियमों में नहीं है। अधीनस्थ ... अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कतई ... के अंतर्गत तामील ... कार्यवाई गई सवार तामील कुनिंदा ने बिना आदेश मकान पर चस्पा कर तामील कानून विरूद्ध प्रचलित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

नियमों के विरूध की है तामील कुनिंदा के कतई ब्यान नहीं हुये। तामील प्रोपर सही नहीं मानी जा सकती है। ऐसी तामील पश्चात नोटिस प्रदानगी दोषपूर्ण होने से आगामी सारी कार्यवाही दोषपूर्ण होने से आदेश निरस्ती योग्य है।राज्य सरकार द्वारा शहरी सीमा पैराफेरी पर खातेदारी दिये जाने हेतु स्पष्ट नियम बनाये हुये है। यदि भूमि उपनिवेशन की मानी जावे तब भी आवंटन नियमों में भी सम्वत 2061 से पूर्व आवंटित भूमि को पुख्ता किया जाने योग्य माना गया, इस विषय में 2006 से पूर्व ही नियम बन चुके थे, जिसमे पैराफेरी की कोई सीमा नहीं है। यदि भूमि भू राजस्व की मानी जावे तब राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के खातेदारी प्रदान करने के स्पष्ट अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये है, तहसीलदार सूरतगढ को या तो पूर्ण नियमों का ज्ञान नहीं था अथवा उन्होने नियमों का पठन व अध्ययन ना कर पूर्व सोच के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। भूमि उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के अंतर्गत आवंटन की गयी यह आवंटन अनुपयोगी वेस्ट लैण्ड नियमों के तहत आवंटन ही नहीं की गई फिर 1996 में बने वेस्ट लैण्ड आवंटन नियमों में इसे निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है इसलिये वेस्ट लैण्ड की परिभाषा में नही आती है एवं आवंटन 1996 से पूर्व का है इसलिये वेस्ट लैण्ड आवंटन नियमों में इसे निरस्त करना नियमों का उपहास मात्र हो सकता है। आदेश अदालत मातहत निरस्ती योग्य है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पो0 संख्या 02 की तरफ से श्री शीशपाल शर्मा हाजिर आये।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 02.06.2006 को प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना विधि परक नही हुई मात्र दफतरी कार्यवाही हुई है। प्राथी आवंटन शर्ता का पूर्ण पालन कर रहा था नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त किया गया। प्रार्थी ने जब दिनांक 12.6.2017 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो प्रार्थी/अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होते ही उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 13.[illegible]2017 [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया जो तैयार होकर दिनांक 20.06.2017 को नकल [illegible]कर बिना को[illegible] किये ज्ञान से अंदर मियाद अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 11 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपील मीमो ही मेरी बहस है।

8. रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित भूमि को खारिज की है। अपीलांट को सुनवाई हेतु न्यायालय तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचना जारी की गई। आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटन भूमि पर गैर कृषि कार्य करने के कारण नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटी को आवंटिति भूमि खारिज की गई। अतः अपील अपीलांट निरस्ती योग्य है।

9. रेस्पोडेंट संख्या 02 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हु[illegible] कि अपीलांट इस रकबे के टीसी पट्टा धारक नहीं रहा है। अपील[illegible] रकबा के टी[illegible]वीनीकरण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष क[illegible] अधीनस्थ न्यायालय की टीसी आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में कभी भी 1986 से पहले या उसके पश्चात कभी नवीनीकरण हेतु आवेदन पेश नहीं किया तथा नवीनीकरण प्रतिवर्ष नहीं हुआ तथा आवंटी को प्रथम आवंटन समक्ष अधिकारी द्वारा नहीं है। क्योंकि टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार टीसी आवंटन कमेटी की राय से तहसीलदार कर सकता था परंतु टीसी आवंटी को टीसी आवंटन भी विधि सम्मत नही हुआ है। इसलिए यह अपील खारिज योग्य है। टीसी पट्टा धारक को केवल एक वर्ष के लिये लीज पर रकबा प्राप्त हुआ था जिसका आगामी वर्षो के लिये अपीलांट ने कभी भी टीसी नवीनीकरण हेतु रकम या मालकाना जमा नहीं करवाया है व टीसी आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है एक टीसी आवंटी को प्रत्येक वर्ष रकम जमा करवानी पडती है जो मात्र एक रूपया प्रति बीघा प्रतिवर्ष होता है। इसलिये लीज अवधि पुरी होते ही टीसी आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आरवीजे 1999 पेज नम्बर 214 के अनुसार **Temporary Allotment of land for cultivation creats no right in favour of the person to whom land was Temporary Alloted** इस प्रकार अपीलांट को इस रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था उपनिवेशन क्षेत्र में नगरपालिका पैराफेरी के रकबा के खातेदारी अधिकार अस्थाई आवंटी को जारी नहीं हो सकते है। आवंटी को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अनेको बार टीसी पुख्ता आवंटन हेतु टीसी आवंटियों को अवसर दिये थे परंतु इस प्रकरण में अपीलांट ने पुख्ता आवंटन [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है व यह रकबा उपनिवेशन में रहते हुए [illegible] हो गया [illegible] अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा प[र] [illegible]श्त नहीं की है अपीलांट के अपील के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है। जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। अपीलांट या अपीलांट के पिता/पति ने इस रकबा को कभी भी काश्त ही नहीं किया व प्रतिवर्ष रकम भी जमा नहीं करवाई है तथा यह रकबा पूर्व में भी व वर्तमान में भी जैर अपील रकबा कृषि योग्य भूमि नहीं है। टीसी आवंटी का नवीनीकरण के लिए कब्जा होना भी अनिवार्य है। अपीलांट के पास कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियों में शुरू से ही अराजीराज था अपीलांट के नाम गिरदावरियों में टीसी आवंटन का अंकन नहीं है। सन 2006 के पश्चात तो यह रकबा नगरपालिका सूरतगढ को हस्तांतरित हो चुका है। इसलिए भी कब्जा अभाव में आवंटन को निरस्त योग्य था व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियुक्त है। आवंटन जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. [illegible] राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई [illegible] आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था उक्त [illegible] हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है, इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा सरकार बनाम बृजलाल बल बिशना उर्फ किशनाराम में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06 .11.2024 को मेरे द्वारा टंकण करवाया, जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6-11-24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner